

फा.1/24(8)/2023-भ.IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती - IV अनुभाग

पद का नाम	श्रम विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक श्रम आयुक्त के पद की एक (अना.) रिक्ति	
विज्ञापन सं.	09/2023	
रिक्ति सं.	23050908413	
लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	अ.यो-(क) + अ.यो-(ख) को बढ़ाकर 5 वर्ष या अधिक का अनुभव किया गया
	ईडब्ल्यूएस	-
	अ.पि.व	-
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	134, 181, 262, 301 एवं 344. (05 उम्मीदवार)
कम पाए गए दस्तावेजों को जमा करने के अध्येन अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध	अनुक्रमांक	11*, 62*, 261*, 307*, 325* एवं 333*. (06 उम्मीदवार)

* यदि उम्मीदवार निर्धारित तारीख से पहले अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं कर पाता है तो उसके आवेदन को "अपूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-ख	01, 07, 14, 22, 23, 29, 30, 41, 43, 45, 46, 47, 57, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 78, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 106, 110, 129, 130, 137, 144, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 171, 177, 178, 179, 180, 183, 186, 187, 193, 195, 197, 198, 203, 207, 208, 214, 215, 223, 226, 236, 238, 241, 244, 247, 250, 254, 257, 264, 267, 268, 269, 276, 278, 281, 283, 286, 287, 299, 305, 306, 308, 310, 315, 320, 321, 322, 332, 335, 338, 345 एवं 347. (96 उम्मीदवार)
	एलईसी	59, 112, 122, 174, 202, 252/253#, 264, 275, 279 एवं 309. (11 आवेदन/10 उम्मीदवार)



:अपूर्ण:	
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	86, 107, 233, 303, 326, 342 एवं 348. (07 उम्मीदवार)
अनुभव प्रमाण-पत्र में कर्तव्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं है	04, 08, 17, 27, 81, 87, 157, 159, 211, 258, 263 एवं 292. (12 उम्मीदवार)
अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाता	09, 12, 61, 75, 80, 101, 113, 132, 139, 205, 231, 271, 316 एवं 343. (14 उम्मीदवार)
अनुभव प्रमाण-पत्र में तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया है	28, 32, 141 एवं 224. (04 उम्मीदवार)
अनुभव प्रमाण-पत्र के दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है	48. (01 उम्मीदवार)
विचाराधीन क्षेत्र में शामिल नहीं	शेष 192 उम्मीदवार कम अनुभव वाले हैं।

नियुक्ति पत्र/त्याग-पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश, वेतन प्रमाण-पत्र/स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्रों/ स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है।

समामेलित

महत्वपूर्ण अनुदेश:

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघु सूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **28.04.2024** तक **sort4.upsc@nic.in** पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। परन्तु इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संबंध में ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि संवीक्षा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अपनाए गए मानदंड	<p>(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार तथा आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) आवेदनों की संवीक्षा, उक्त पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है।</p> <p>(iii) मानव संसाधन प्रबंधन को कार्मिक प्रबंधन के समतुल्य माना गया है और केवल प्रबंधन/एमबीए की डिग्री पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iv) संवीक्षा हेतु ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे को ही भर्ती नियम के आधार पर शैक्षिक योग्यता/अनुभव के लिए विचार किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट उम्मीदवारों के ओआरए आवेदन पर विचार किया गया है, तथापि, स्वैच्छिक रूप से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना प्रदान किए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है।</p>
------------------------	--



(v) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी सभी अपेक्षित सूचना उपलब्ध होने पर ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है।

(vii) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्रों अथवा स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

(vi) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कर्तव्यों का स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परंतु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(viii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित रूप में अपलोड कर दी गई है:

मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची

संकेतक:

एलईक्यू-ख-अनिवार्य योग्यता - ख में कमी

एलईसी-बढ़ाए गए मानदण्ड में कमी

ईसी-अनुभव प्रमाण-पत्र

अनुभव प्रमाण पत्र में-कर्तव्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं है

(प्रदीप कुमार सुरेका)

उप सचिव (सलाहकार)

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।